एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन केन्द्र का संचालन/रिसोर्स रिकवरी सेन्टर (आर.आर.सी.)–

निम्न चरणों में एकीकृत ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन के बेहतर संचालन के लिये कार्यवाही की जा रही है:–

1. आवश्यक संसाधनों का प्रबंध

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र के संचालन से सम्बन्धित आवश्यक संसाधनों (जैसे कचरा संग्रहण वाहन, डस्टबिन, स्टाफ, तकनीकी संसाधन) की व्यवस्था है। आर.आर.सी. में उपकरण या सामग्री पर्याप्त हैं तथा आर.आर.सी का संचालन नियमित रूप से किया जा रहा है। ओ.डी.एफ. प्लस ग्राम पंचायतों में आर.आ.सी. निर्मित है तथा ई–रिक्शा उपलब्ध है।

2. शुल्क निर्धारण

कचरा संग्रहण की लागत के अनुसार शुल्क निर्धारित कर दिया गया है। गांव के प्रत्येक परिवार से 20–30 रू0, रेहड़ी/ठेला से 30 रू0, दुकानों से 50–100 रू0, विद्यालय/बैंक/कारखाने/गेस्ट हाउस/सरकारी संस्थानों से 500 रू0 कचरा संग्रहण के लिए अलग–अलग: शुल्क लिया जा रहा है।

3. लाभांश और लक्ष्य निर्धारण

आय–व्यय के आधार पर लाभांश निर्धारित किये जाने कार्यवाही की जा रही है। घरों/दुकानों/प्रतिष्ठान/संस्थानों से प्राप्त आय में से व्यय करने के उपरान्त, जो लाभ बचेगा, उसे साफ–सफाई एवं विकास के कार्यों में लगाया जा रहा है।

4. वसूली और मॉडल विकास

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन केंद्र के संचालन के बाद वसूली की प्रक्रिया पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा जो परिवार/दुकानदार कूड़ा नहीं दे रहे हैं उन ग्रामवासियों को प्रेरित/जागरूक किया जा रहा है। ग्राम पंचायत में खुले में कूड़ा फेंकनें की बार–बार पुनर्रावृत्ति करने वाले परिवारों पर 02 रू0 प्रति कि.ग्रा. की दर से अथवा दुगुना शुल्क व अधिक जुर्माना लगाये जाने एवं वसूली की कार्यवाही की जा रही है। जितना भी शुल्क कचरा संग्रहण के लिए लिया जा रहा है, उसकी वसूली पूरी किये जाने और इसे एक मॉडल के रूप में विकसित की कार्यवाही की जा रही है।

5. गुणवत्तायुक्त सेवा

गांव में कचरा संग्रहण समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से किया जा रहा है जो प्रतिष्ठान अधिक धनराशि का भुगतान कर रहा है, उसे अतिरिक्त सुविधा दिये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

6. अपशिष्ट से आय वृद्धि

घरों/दुकानों से जो कचरा एकत्रित किया जाता है उसका उचित उपयोग करके आय बढ़ाने के उपाय किए जा रहे हैं।

7. अर्थदंड और जागरुकता अभियान

जो घर या प्रतिष्ठान कचरा नहीं दे रहे हैं उसके लिए जागरुकता अभियान चलाया जा रहा है ताकि लोग सफाई के महत्व को समझें और कचरा उचित स्थान पर डालें। इसके उपरान्त जो परिवार/दुकान इधर–उधर बार–बार गंदगी फैलाते हैं, उनके खिलाफ जुर्माना लगाकर वसूली की कार्यवाही की जा रही है।

उक्त निर्गत किये गये निर्देशों के साथ–साथ विगत महीने में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जा रही है जिससे ग्राम में सभी परिवारों को इस योजना के तहत कवर किये जाने का प्रयास किया जा रहा है।

साफ–सफाई व्यवस्था–

जनपद में 636 सफाई कर्मचारी राजस्व ग्रामवार तैनात हैं। जनपद की 469 ग्राम पंचायतों के 680 राजस्व ग्रामों में आगामी त्योहारों के दृष्टिगत पंचायती राज विभाग द्वारा विशेष सफाई अभियान चलाकर सफाई कर्मचारियों की 5–5 की टीम गठित कर ग्रामवार रोस्टर लगाकर नियमित साफ–सफाई कराकर चूना, ब्लीचिंग पाउडर एवं एन्टीलार्वा के छिड़काव का कार्य कराया जा रहा है।

ग्रामों में जल निकासी की व्यवस्था है तथा जिन ग्रामों में जल निकासी की व्यवस्था नहीं है वहां पर नाली एवं सोकपिट का निर्माण कार्य कराकर जल निकासी की व्यवस्था किये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा ग्रामों में स्थित तालाब में गिरने वाले गंदे जल के निस्तारण हेतु फिल्टर चेम्बर का निर्माण कार्य कराया गया है।

जनपद की समस्त ग्राम पंचायतों में स्थित धार्मिक स्थलों की साफ–सफाई, झाड़ी कटान, जलभराव, आदि का कार्य कराया जा रहा है।

D.C.